जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति **दिनांक 06.06.2021**

थाना गढ़ीपुख्ता

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा धोखाधडी से ए0टी0एम0 कार्ड बदलकर रुपये चोरी करने वाले गैंग के 02 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी नकदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अवैध हथियार बरामदः-

आज दिनांक 06.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी भवन के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना द्वारा बिजलीघर से धोखाधडी से ए0टी0एम0 कार्ड बदलकर ए0टी0एम0 से रुपया चोरी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यो को ए0टी0एम0 से निकाली गयी नकदी में से 7000/- रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्तों का एक साथी कल्याण उर्फ सीटू फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में की गयी घटनाओं तथा उनके अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 17.05.2020 को श्री दिनेश सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम मानकपुर थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली द्वारा ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला में स्थित पी0एन0बी0 ए0टी0एम0 मशीन से 20000/- रुपये निकालते समय अज्ञात व्यक्ति की मदद ली थी। व्यक्ति द्वारा नकदी निकालने के दौरान धोखे से उसका ए0टी0एम0 बदल लिया गया तथा उसके ए0टी0एम0 से 25000 हजार रुपये की निकासी की गयी, जिसके सम्बन्ध में श्री दिनेश सिंह द्वारा थाना गढ़ीपुख्ता पर तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना पुलिस द्वारा ए0टी0एम0 के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गिरोह के 03 सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना संकलित करते हुए उनकी पहचान सुनिश्चित कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

अपराध का तरीका- गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी पूछताछ में जानकारी हुई है कि वह व उसका साथी कल्याण उर्फ सीटू ए0टी0एम0 मशीन के आस-पास पहुंचकर निगरानी करते रहते है और जैसे ही कोई व्यक्ति अकेला ए0टी0एम0 में होता है, उसको बातों में लगाकर कार्ड का पिन नम्बर जानकारी कर लेते है और फिर धोखे से उसके ए0टी0एम0 को बदलकर दूसरा ए0टी0एम0 दे देते है। फिर धोखे से लिए गये ए0टी0एम0 से पैसे निकाल लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अंकुर पुत्र रजनीश निवासी ग्राम कुआ खेड़ा थाना ननौता जनपद सहारनुर।

2-अंकित उर्फ मोनू पुत्र प्रभात निवासी ग्राम खानपुर थाना तितावी जनपद सहारनपुर।

नाम पता फरार अभियुक्त-

1-कल्याण उर्फ सीटू पुत्र जसवीर निवासी कुआ खेड़ा थाना ननौता जनपद सहारनुर।

बरामदगी का विवरण-

1- निकाले गये रुपयो में से 7000/- रुपये।

2- घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बिना नम्बर।

3- अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

झिंझाना

वर्ष 2020 में झिंझाना थानाक्षेत्र के ग्राम टपराना में पुलिस पर हमले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 06.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर इदगाह से वर्ष 2020 से पुलिस हमले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 26.05.2020 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम टपराना में गुंडा एक्ट/जिलाबदर/गोकश की गिरफ्तारी हेतु दबिश देकर उसे हिरासत में लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए अभियुक्त के परिजन समेत सैंकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। घटना के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार टीमें गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश जारी किये गये थे। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा निर्देशों के क्रम में घटना में लिप्त वांछित अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- शोएब पुत्र जब्बार निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 लोहे की राड बरामद।</u>

आज दिनांक 06.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछितध्वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर ग्राम मुंड़ेट से हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्तो को घटना में प्रयुक्त 02 लोहे की राड के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 03.06.2020 को श्री विजयपाल पुत्र आबेराम निवासी ग्राम ताहरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा उसके रिश्तेदार मोनू पुत्र नत्थन को उससे मिलने आते समय 02 व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना घटना में लिप्त 02 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना पुलिस द्वारा घटना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- रवि पुत्र भजन सिंह निवासी ग्राम मुंड़ेट थाना झिंझाना जनपद शामली।

2- नितिन पुत्र ओमकार निवासी ग्राम मुंड़ेट थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. घटना में प्रयुक्त 02 लोहे की राड़।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस झगड़े में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

दिनांक 05.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर कांधला तिराहे से वर्ष 2020 से झगड़े में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 09.10.2020 को श्री गुलफाम पुत्र इमरान निवासी मोहल्ला अंसारियान सिदरयान थाना कैराना जनपद शामली द्वारा बच्चो में विवाद में अभियुक्तगण द्वारा उसके परिवारजनो के साथ घर में घुसकर गम्भीर रूप से मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल कराई गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कैराना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घटना में लिप्त अभियुक्त अहसान, आमिल, बिल्लू व साबिर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- इजराइल पुत्र यूसुफ उर्फ राव निवासी मोहल्ला अंसारियान थाना कैराना जनपद शामली।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-मु0अ0सं0 379/14 धारा 110 जी द0प्र0सं0 थाना कैराना जनपद शामली।

2-मु0अ0सं0 250/19 धारा 325,323,504,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

3-मु0अ0सं0 438/20 धारा 147,148,452,504,323,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

<u>जनपद में गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में थाना कैराना पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 06.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर ग्राम बरनावी से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 गैंगस्टर हारूण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । गिरफ्तार गैंगस्टर के विरूद्ध जनपद के थाना कैराना पर हत्या के प्रयास एवं अवैध हथियार रखने आदि के मामले दर्ज हैं ।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1. हारूण पुत्र मुंशी निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली ।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 1047/17 धारा 307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली ।
2.मु0अ0सं0 146/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली ।
3.मु0अ0सं0 147/19 धारा 20/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली ।
4.मु0अ0सं0 250/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामली ।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 06.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना पर दिल्ली अड्डे से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 28.07.2020 को श्री बिजेन्द्र कुमार खण्ड़ शिक्षाधिकारी कांधला द्वारा अभियुक्त राजदीप पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मुकंदपुरा थाना छपरौली जनपद बागपत। द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर सरकारी अध्यापक की नोकरी प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गयी। दाखिल तहरीर के आधारा पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- राजदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम मुकंदपुरा थाना छपरौली जनपद बागपत।